2)

30/17 भैराराम व/s डुकाराम वगैरा

8.7.17	पत्रावली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण एकतरफा। वकील प्रार्थीगण की आवेदन पर अंतिम बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। और शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी, मिणधरी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.30 / 2017

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
भैराराम पुत्र हुकमाराम जाति सुथार निवासी एड अमरसिह(एड सिणधरी) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1.उकाराम पुत्र जरूपाराम जाति माली 2.अचलाराम 3.साजनराम 4.किरताराम पिसरान जुगताराम 5.वेहनाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी एड अमरसिह(एड सिणधरी) तहसील सिणधरी बाड़मेर। 6.मांगा खां 7.कला खां पिसरान बगसू खां जाति मिरासी निवासी सिणधरी चौसिरा,चारणो का वास तहसील सिणधरी 8.चेनाराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी रामनगर सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री बीजाराम गोदारा,अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी स.1 से 8 एकरतफा।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

दिनांक– 08.7.2017

Scanned by CamScanner

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम एड अमरसिह पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 199/195 रकबा 122 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम एड अमरसिह पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 199/195 रकबा 122 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम एड अमरसिह पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 199/195 रकबा 122 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम एड अमरसिह पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 199/195 रकबा 122 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम एड अमरसिह पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 199/195 रकबा 122 बीधा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2070 से 2073 से प्रमाणति होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

.मील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थी का आवेदन राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम एड अमरसिह पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 199/195 रकबा 122 **बीधा** भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 2000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

08/2/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 08/2/12 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

08/2/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner